

भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1067]

No. 1067]

नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 30, 2008/श्रावण 8, 1930

NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 30, 2008/SRAVANA 8, 1930

पर्यावरण और वन मंत्रालय

(वन्यजीव प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 जुलाई, 2008

का.आ. 1875(अ).—केंद्रीय सरकार वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53) की धारा 55 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में एतद्वारा वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो के सभी अधिकारियों, जो सहायक निदेशक के पद से नीचे के न हों, को उक्त अधिनियम के तहत उनके संबंधित क्षेत्राधिकार के अंदर इदानीय अपराधों के संबंध में शिकायतें दर्ज करने के लिए इस शर्त पर प्राधिकृत करती है कि केंद्रीय सरकार ऐसे प्राधिकार का प्रतिसंहरण कर सकती है अथवा उक्त धारा के अंतर्गत स्वयं शक्तियों का प्रयोग कर सकती है यदि उनके विचार में जनहित में ऐसी कार्रवाई करनी आवश्यक हो।

[फा. सं. 1-11/डब्ल्यू सी सी बी/2007]

एम. बी. लाल, निदेशक, वन्यजीव परिरक्षण और
अपर वन महानिदेशक

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

(Wildlife Division)

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th July, 2008

S.O. 1875(E).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of Section 55 of the Wild Life (Protection) Act, 1972 (53 of 1972) the Central Government hereby authorises all the officers of the Wild Life Crime Control Bureau, not below the rank of Assistant Director, to file complaints with regard to offences punishable under the said Act within the areas of their respective jurisdiction, subject to the condition that the Central Government may revoke such authorisation or may itself exercise the powers under the said section, if in its opinion such a course of action is necessary in the public interest.

[F. No. 1-11/WCCB/2007]

M. B. LAL, Director, Wildlife Preservation and
Addl. Director General of Forests

2855 GI 2008

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 जुलाई, 2008

का.आ. 1876(अ).—निदेशक, वन्यजीव परिरक्षण, वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53) की धारा 38जेड की उप-धारा (2) के साथ पठित धारा 5 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से उक्त अधिनियम की धारा 50 की उप-धारा (1) और धारा 47, 48 के तहत उनमें निहितार्थ शक्ति से वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो के सभी अधिकारियों, जो सहायक निदेशक से नीचे के पद के न हों, को उनके संबंधित क्षेत्राधिकार में इस शर्त पर प्रत्यायोजित करते हैं, कि निदेशक, वन्यजीव परिरक्षण, शक्तियों के ऐसे प्रत्यायोजन का प्रतिसंहरण कर सकते हैं अथवा उक्त धाराओं के तहत स्वयं शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं, यदि उनके विचार से जनहित में ऐसी कोई कार्रवाई आवश्यक हो।

[फा. सं. 1-11/डब्ल्यू सी सी बी/2007]

एम. बी. लाल, निदेशक, वन्यजीव परिरक्षण और
अपर वन महानिदेशक


NOTIFICATION

New Delhi, the 29th July, 2008

S.O. 1876(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 5 read with sub-section (2) of Section 38Z of the Wild Life (Protection) Act, 1972 (53 of 1972) the Director, Wild Life preservation, with the previous approval of the Central Government, hereby delegates the powers vested in him under Sections 47, 48 and sub-section (1) of Section 50 of the said Act to all the officers of the Wild Life Crime Control Bureau, not below the rank of Assistant Director, within the areas of their respective jurisdiction, subject to the condition that the Director, Wild Life Preservation may revoke such delegation of powers or may himself exercise the powers under the said sections, if in his opinion such a course of action is necessary in the public interest.

[F. No. 1-11/WCCB/2007]

M. B. LAL, Director, Wildlife Preservation and
Addl. Director General of Forests



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1367] नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 2, 2009/भाद्र 11, 1931
No. 1367] NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 2, 2009/BHADRA 11, 1931

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय
(वन्यजीव प्रभाग)
आदेश

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS
(WILDLIFE DIVISION)
ORDER

नई दिल्ली, 1 सितम्बर, 2009

New Delhi, the 1st September, 2009

का.आ. 2219(अ).—निदेशक, वन्यजीव परिरक्षण, वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53) की धारा 38य की उप-धारा (2) के साथ पठित धारा 5 की उप-धारा (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से उपर्युक्त अधिनियम की धारा 55 के अधीन स्वयं में निहित शक्तियों को वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो के उनके संबंधित न्यायाधिकार क्षेत्रों के निरीक्षक रैंक के अधिकारियों में इस शर्त के अधीन प्रत्यायोजित करते हैं कि वन्यजीव परिरक्षण के निदेशक, शक्तियों के ऐसे प्रत्यायोजित को प्रतिस्तरण कर सकेंगे या उपर्युक्त धारा के अधीन प्रदत्त शक्तियों का स्वयं प्रयोग कर सकेंगे, यदि उनकी राय में ऐसी कार्रवाई जनहित में आवश्यक हो।

S.O. 2219(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5 read with sub-section (2) of section 38Z of the Wildlife (Protection) Act, 1972 (53 of 1972), the Director Wildlife Preservation, with the previous approval of the Central Government hereby delegates the powers vested in him under section 55 of the said Act to the officers of the rank of Inspector of Wildlife Crime Control Bureau within the areas of their respective jurisdiction, subject to the condition that the Director, Wildlife Preservation may revoke such delegation of powers or may himself exercise the powers under the said section, if in his opinion such a course of action is necessary in the public interest.

[फा. सं. 1-11/डब्ल्यू.सी.सी.बी./2007]

[F. No. 1-11/WCCB/2007]

एम. बी. लाल, निदेशक, वन्यजीव परिरक्षण एवं
अपर वन महानिदेशक

M. B. LAL, Director, Wildlife Preservation &
Addl. Director General of Forests

ORDER


New Delhi, the 6th February, 2009

S.O. 421(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 5 read with sub-section (2) of Section 38Z of the Wild Life (Protection) Act, 1972 (53 of 1972), the Director, Wild Life Preservation, with the previous approval of the Central Government, hereby delegates the powers vested in him under sub-section (1) of Section 39 of the said Act to the officers of the rank of Inspector

of Wild Life Crime Control Bureau, within the areas of their respective jurisdiction subject to the condition that the Director, Wild Life Preservation may revoke such delegation of powers or may himself exercise the powers under the said sections, if in its opinion such a course of action is necessary in the public interest.

[F.No. 1-11/WCCB/2007]

M. B. LAL, Director, Wildlife Preservation & Addl.
Director General of Forests (WL)



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 252]

नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 9, 2009/माघ 20, 1930

No. 252]

NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 9, 2009/MAGHA 20, 1930

पर्यावरण और वन मंत्रालय

(वन और वन्यजीव)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 फरवरी, 2009

का.आ. 420 (अ).— केन्द्रीय सरकार, वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53) की धारा 54 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो के सहायक निदेशक पद से अनिम्न पंक्ति के अधिकारी न हों, को उनके अपनी अधिकारिता के क्षेत्रों के भीतर उक्त अधिनियम की धारा 54 की उप-धारा (1) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करने की इस शर्त पर शक्ति प्रदान करती है कि केन्द्रीय सरकार ऐसे प्राधिकार का प्रतिसंहरण कर सकती है या उक्त धारा के अधीन शक्तियों का स्वयं प्रयोग कर सकती है यदि उसके विचार में ऐसी कार्रवाई करना जनहित में आवश्यक हो।

[फा. सं. 11-1/डब्ल्यू सी सी बी/2007]

एम. बी. लाल, निदेशक, वन्यजीव परिरक्षण एवं
अपर वन महानिदेशक (व. जी.)

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

(WILDLIFE DIVISION)

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th February, 2009

S.O. 420(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 54 of the Wild Life (Protection) Act, 1972 (53 of 1972), the Central Government hereby

541 GI-2009

(1)

empowers the officers of the Wild Life Crime Control Bureau, not below the rank of Assistant Director, to exercise the powers under sub-section (1) of Section 54 of the said Act within the areas of their respective jurisdiction subject to the condition that the Central Government may revoke such authorisation or may itself exercise the powers under the said sections, if in its opinion such a course of action is necessary in the public interest.

[F.No. 1-11/WCCB/2007]

M.B. LAL, Director, Wildlife Preservation & Addl.
Director General of Forests (WL)

आदेश

नई दिल्ली, 6 फरवरी, 2009

का.आ. 421 (अ).— वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53) की धारा 38य की उप-धारा (2) के साथ पठित धारा 5 की उप-धारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निदेशक, वन्यजीव परिरक्षण, केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से उनमें विहित शक्तियों को वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो के निरीक्षक के रैंक के अधिकारियों को उक्त अधिनियम की धारा 50 की उप-धारा (1) के अधीन उनके अपने अधिकारिता के भीतर इस शर्त के अध्याधीन प्रत्यायोजित करते हैं कि निदेशक, वन्यजीव परिरक्षण ऐसी शक्तियों के प्रत्यायोजित का प्रतिसंहरण कर सकता है या स्वयं उक्त धाराओं के अधीन शक्तियों का प्रयोग कर सकता है यदि उनके विचार में ऐसी कार्रवाई करना जनहित में आवश्यक हो।

[फा. सं. 1-11/डब्ल्यू सी सी बी/2007]

एम. बी. लाल, निदेशक, वन्यजीव परिरक्षण एवं
अपर वन महानिदेशक (व. जी.)



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1367]

नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 2, 2009/भाद्र 11, 1931

No. 1367]

NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 2, 2009/BHADRA 11, 1931

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय

1 (वन्यजीव प्रभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 1 सितम्बर, 2009

का.आ. 2219(अ).—निदेशक, वन्यजीव परिरक्षण, वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 कां 53) की धारा 38य की उप-धारा (2) के साथ पठित धारा 5 की उप-धारा (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से उपर्युक्त अधिनियम की धारा 55 के अधीन स्वयं में निहित शक्तियों को वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो के उनके संबंधित न्यायाधिकार क्षेत्रों के निरीक्षक रैंक के अधिकारियों में इस शर्त के अधीन प्रत्यायोजित करते हैं कि वन्यजीव परिरक्षण के निदेशक, शक्तियों के ऐसे प्रत्यायोजित को प्रतिसंहरण कर सकेंगे या उपर्युक्त धारा के अधीन प्रदत्त शक्तियों का स्वयं प्रयोग कर सकेंगे, यदि उनकी राय में ऐसी कार्रवाई जनहित में आवश्यक हो।

[फा. सं. 1-11/डब्ल्यू.सी.बी./2007]

एम. बी. लाल, निदेशक, वन्यजीव परिरक्षण एवं
अपर वन महानिदेशक

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

(WILDLIFE DIVISION)

ORDER

New Delhi, the 1st September, 2009

S.O. 2219(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5 read with sub-section (2) of section 38Z of the Wildlife (Protection) Act, 1972 (53 of 1972), the Director Wildlife Preservation, with the previous approval of the Central Government hereby delegates the powers vested in him under section 55 of the said Act to the officers of the rank of Inspector of Wildlife Crime Control Bureau within the areas of their respective jurisdiction, subject to the condition that the Director, Wildlife Preservation may revoke such delegation of powers or may himself exercise the powers under the said section, if in his opinion such a course of action is necessary in the public interest.

[F.No. 1-11/WCCB/2007]

M. B. LAL, Director, Wildlife Preservation &
Addl. Director General of Forests

भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1067]

नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 30, 2008/श्रावण 8, 1930

No. 1067]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 30, 2008/SRAVANA 8, 1930

पर्यावरण और वन मंत्रालय

(वन्यजीव प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 जुलाई, 2008

का.आ. 1875(अ).—केंद्रीय सरकार वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53) की धारा 55 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में एतद्द्वारा वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो के सभी अधिकारियों, जो सहायक निदेशक के पद से नीचे के न हों, को उक्त अधिनियम के तहत उनके संबंधित क्षेत्राधिकार के अंदर वंडनीय अपराधों के संबंध में शिकायतें दर्ज करने के लिए इस शर्त पर प्राधिकृत करती है कि केंद्रीय सरकार ऐसे प्राधिकार का प्रतिसंहरण कर सकती है अथवा उक्त धारा की अंतर्गत स्वयं शक्तियों का प्रयोग कर सकती है यदि उनके विचार में जनहित में ऐसी कार्रवाई करनी आवश्यक हो।

[फा. सं. 1-11/डब्ल्यू सी सी बी/2007]

एम. बी. लाल, निदेशक, वन्यजीव परिरक्षण और
अपर वन महानिदेशक

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

(Wildlife Division)

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th July, 2008

S.O. 1875(E).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of Section 55 of the Wild Life (Protection) Act, 1972 (53 of 1972) the Central Government hereby authorises all the officers of the Wild Life Crime Control Bureau, not below the rank of Assistant Director, to file complaints with regard to offences punishable under the said Act within the areas of their respective jurisdiction, subject to the condition that the Central Government may revoke such authorisation or may itself exercise the powers under the said section, if in its opinion such a course of action is necessary in the public interest.

[F. No. 1-11/WCCB/2007]

M. B. LAL, Director, Wildlife Preservation and
Addl. Director General of Forests

2855 GI 2008

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 जुलाई, 2008

का.आ. 1876(अ).—निदेशक, वन्यजीव परिरक्षण, वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53) की धारा 38जेड की उप-धारा (2) के साथ पठित धारा 5 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से उक्त अधिनियम की धारा 50 की उप-धारा (1) और धारा 47, 48 के तहत उनमें निहितार्थ शक्ति से वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो के सभी अधिकारियों, जो सहायक निदेशक से नीचे के पद के न हों, को उनके संबंधित क्षेत्राधिकार में इस शर्त पर प्रत्यायोजित करते हैं, कि निदेशक, वन्यजीव परिरक्षण, शक्तियों के ऐसे प्रत्यायोजन का प्रतिसंहरण कर सकते हैं अथवा उक्त धाराओं के तहत स्वयं शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं, यदि उनके विचार से जनहित में ऐसी कोई कार्रवाई आवश्यक हो।

[फा. सं. 1-11/डब्ल्यू सी सी बी/2007]

एम. बी. लाल, निदेशक, वन्यजीव परिरक्षण और
अपर वन महानिदेशक

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th July, 2008

S.O. 1876(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 5 read with sub-section (2) of Section 38Z of the Wild Life (Protection) Act, 1972 (53 of 1972) the Director, Wild Life preservation, with the previous approval of the Central Government, hereby delegates the powers vested in him under Sections 47, 48 and sub-section (1) of Section 50 of the said Act to all the officers of the Wild Life Crime Control Bureau, not below the rank of Assistant Director, within the areas of their respective jurisdiction, subject to the condition that the Director, Wild Life Preservation may revoke such delegation of powers or may himself exercise the powers under the said sections, if in his opinion such a course of action is necessary in the public interest.

[F. No. 1-11/WCCB/2007]

M. B. LAL, Director, Wildlife Preservation and
Addl. Director General of Forests

ORDER

New Delhi, the 6th February, 2009

S.O. 421(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 5 read with sub-section (2) of Section 38Z of the Wild Life (Protection) Act, 1972 (53 of 1972), the Director, Wild Life Preservation, with the previous approval of the Central Government, hereby delegates the powers vested in him under sub-section (1) of Section 50 of the said Act to the officers of the rank of Inspector

of Wild Life Crime Control Bureau, within the areas of their respective jurisdiction subject to the condition that the Director, Wild Life Preservation may revoke such delegation of powers or may himself exercise the powers under the said sections, if in its opinion such a course of action is necessary in the public interest.

[F.No. 1-11/WCCB/2007]

M. B. LAL, Director, Wildlife Preservation & Addl.
Director General of Forests (WL)

362



सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 10671

नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 30, 2008/श्रावण 8, 1930

No. 10671

NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 30, 2008/SRAVANA 8, 1930

पर्यावरण और वन मंत्रालय

(वन्यजीव प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 जुलाई, 2008

क्रा.अ. 1875(अ).—केन्द्रीय सरकार वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53) की धारा 55 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में एतद्वारा वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो के सभी अधिकारियों, जो सहायक निदेशक के पद से नीचे के न हों, का उक्त अधिनियम के तहत उनके संबंधित क्षेत्राधिकार के अंदर राष्ट्रीय अभयारण्य के संबंध में शिकायतें दर्ज करने के लिए इस शर्त पर प्राधिकृत करती है कि केन्द्रीय सरकार ऐसे प्राधिकार का प्रतिसंहरण कर सकती है अथवा उक्त धारा के अंतर्गत स्वयं शक्तियों का प्रयोग कर सकती है यदि उनके विचार में जनहित में ऐसी कार्रवाई करनी आवश्यक हो।

[फा. सं. 1-11/डब्ल्यू सी सी बी/2007]

एम. बी. लाल, निदेशक, वन्यजीव परिरक्षण और
अपर वन महानिदेशक

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

(Wildlife Division)

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th July, 2008

S.O. 1875(E).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of Section 55 of the Wild Life (Protection) Act, 1972 (53 of 1972) the Central Government hereby authorises all the officers of the Wild Life Crime Control Bureau, not below the rank of Assistant Director, to file complaints with regard to offences punishable under the said Act within the areas of their respective jurisdiction, subject to the condition that the Central Government may revoke such authorisation or may itself exercise the powers under the said section, if in its opinion such a course of action is necessary in the public interest.

[F. No. 1-11/WCCB/2007]

M. B. LAL, Director, Wildlife Preservation and
Addl. Director General of Forests

CR55 - GI/2008

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 जुलाई, 2008

क्रा.अ. 1876(अ).—निदेशक, वन्यजीव परिरक्षण, वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53) की धारा 38जेड की उप-धारा (2) के साथ पठित धारा 5 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से उक्त अधिनियम की धारा 50 की उप-धारा (1) और धारा 47, 48 के तहत उनमें निहितार्थ शक्ति से वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो के सभी अधिकारियों, जो सहायक निदेशक से नीचे के पद के न हों, को उनके संबंधित क्षेत्राधिकार में इस शर्त पर प्रत्यायोजित करते हैं, कि निदेशक, वन्यजीव परिरक्षण, शक्तियों के ऐसे प्रत्यायोजन का प्रतिसंहरण कर सकते हैं अथवा उक्त धाराओं के तहत स्वयं शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं, यदि उनके विचार से जनहित में ऐसी कोई कार्रवाई आवश्यक हो।

[फा. सं. 1-11/डब्ल्यू सी सी बी/2007]

एम. बी. लाल, निदेशक, वन्यजीव परिरक्षण और
अपर वन महानिदेशक

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th July, 2008

S.O. 1876(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 5 read with sub-section (2) of Section 38Z of the Wild Life (Protection) Act, 1972 (53 of 1972) the Director, Wild Life preservation, with the previous approval of the Central Government, hereby delegates the powers vested in him under Sections 47, 48 and sub-section (1) of Section 50 of the said Act to all the officers of the Wild Life Crime Control Bureau, not below the rank of Assistant Director, within the areas of their respective jurisdiction, subject to the condition that the Director, Wild Life Preservation may revoke such delegation of powers or may himself exercise the powers under the said sections, if in his opinion such a course of action is necessary in the public interest.

[F. No. 1-11/WCCB/2007]

M. B. LAL, Director, Wildlife Preservation and
Addl. Director General of Forests

ORDER

New Delhi, the 6th February, 2009

S.O. 421(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 5 read with sub-section (2) of Section 3&Z of the Wild Life (Protection) Act, 1972 (53 of 1972), the Director, Wild Life Preservation, with the previous approval of the Central Government, hereby delegates the powers vested in him under sub-section (1) of Section 50 of the said Act to the officers of the rank of Inspector

of Wild Life Crime Control Bureau, within the areas of their respective jurisdiction subject to the condition that the Director, Wild Life Preservation may revoke such delegation of powers or may himself exercise the powers under the said sections, if in its opinion such a course of action is necessary in the public interest.

[F. No. 1-11/WCCB/2007]

M. B. LAL, Director, Wildlife Preservation & Addl.
Director General of Forests (WL)